

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, सपोटरा, तहसील-सपोटरा, जिला-करौली - प्रार्थी

बनाम

श्री किरोडी लाल मीना उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत इनायती तहसील सपोटरा,
जिला-करौली -अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6ए, राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 बाबत्
जब्तशुदा 13.23.400 क्विं. गेहूं मय वारदाना को राजसात् किये जाने

निर्णय

दिनांक 10.02.2020

प्रवर्तन निरीक्षक, सपोटरा द्वारा राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि माननीया मुख्यमंत्री महोदया के दिनांक 11.05.2017 से 13.05.2017 तक जिले में भ्रमण के दौरान के खाद्य विभाग द्वारा गठित जांच दल द्वारा अप्रार्थी की राशन दुकान का अवलोकन किया गया जिसमें 57 क्विं. 70 किलोग्राम 400 ग्राम गेहूं मय वारदाना व 990 लीटर केरोसीन को जब्त किया गया था जिसे राजसात् करने बाबत् इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र मु.नं. 12/2017 पेश किया गया था। उक्त मु.नं. 12/2017 में न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.09.2019 द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड कर तत्कालीन रिकॉर्ड के आधार पर पुनः जांच करने एवं अनियमितता पाये जाने पर पुनः प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में पेश किये जाने बाबत् आदेश पारित किया गया था जिसकी पालना में यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई।

प्रवर्तन निरीक्षक, सपोटरा द्वारा इस प्रार्थना द्वारा अवगत करवाया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदया के दिनांक 11.05.2017 से 13.05.2017 तक जिले में भ्रमण के दौरान खाद्य विभाग जयपुर द्वारा गठित जांच दल द्वारा श्री किरोडीलाल उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत इनायती की दिनांक 13.05.2017 से 15.05.2017 तक जांच की गयी। जांच दल की रिपोर्ट अनुसार वक्त जांच दुकान में पाये गये सम्पूर्ण स्टॉक 57 क्विं. 70 किलो 400 ग्राम गेहूं मय वारदाना एवं 990 ली. केरोसीन को जब्त किया गया था। प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा द्वारा जब्त किये गये स्टॉक के अन्तिम निस्तारण हेतु धारा 6ए के तहत माननीय न्यायालय जिला कलक्टर करौली में प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.09.2019 की पालना में श्रीमान जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा पत्र क्रमांक रसद अभि/2019- 20/889 दिनांक 11.10.2019 द्वारा में तत्कालीन रिकॉर्ड अनुसार पुनः जांच के आदेश फरमाये गये थे। पुनः जांच में तत्कालीन रिकॉर्ड के अनुसार उचित मूल्य दुकानदार के पास स्टॉक की निम्न स्थिति पायी गयी-

01. गेहूँ

दिनांक 01.09.2016 से दिनांक 15.05.2017 तक

01.09.2016 का प्रारम्भिक स्टॉक	वक्त जांच तक आमद	कुल योग	वितरण	अवशेष स्टॉक	भौतिक सत्यापन	अन्तर स्टॉक
0kg	540.72 क्विं.	540.72 क्विं.	496.25 क्विं.	44.47 क्विं.	57.70.400 क्विं.	13.23.400 क्विं. अधिक

उचित मूल्य दुकानदार श्री किरोडीलाल मीना के तत्कालीन रिकॉर्ड के अनुसार वक्त जांच डीलर के पास 44.47 क्विं. गेहूं शेष होना चाहिये था जबकि डीलर के पास वक्त मौका भौतिक सत्यापन पर 57.70.400 क्विं. गेहूं मिला। इस प्रकार रिकॉर्ड अनुसार डीलर के पास आवश्यक वांछित मात्रा से कुल 13.23.400 क्विं. गेहूं अधिक पाया गया था। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा श्रीमान जिला रसद अधिकारी के समक्ष रिपोर्ट दिनांक 06.

11.2019 प्रस्तुत करने पर श्रीमान जिला रसद अधिकारी द्वारा डीलर के पास अधिक पाये गये शेष 13.23.400 क्विं. गेहूँ के अंतिम निस्तारण हेतु माननीय न्यायालय जिला कलक्टर को पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। उक्त आदेशों की अनुपालना में श्रीमान जी की सेवा में यह प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रस्तुत किया गया है। अंत में राशन डीलर श्री किरोडीलाल मीना के पास अधिक पाये गये 13.23.400 क्विं. गेहूँ मय बारदाना राजसात् करने के कथन के साथ-साथ जब्तशुदा गेहूँ के अंतरिम निस्तारण हेतु आदेश फरमाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया है कि जिला रसद अधिकारी द्वारा गलत तथ्यों पर परिवाद प्रस्तुत किया है। जांच रिपोर्ट श्रीमान्जी के आदेशानुसार नहीं बनाई है। प्रवर्तन निरीक्षक ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 112/17 तहत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम इस बाके की सपोटरा थाने में दर्ज कराई जो राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिनांक 06.03.2018 को निरस्त कर दी थी जिसके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा की गई अपील भी दिनांक 09.08.2017 को निरस्त की जा चुकी है। प्रार्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं रही है। ऐसी स्थिति में धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम की कार्यवाही चलने योग्य नहीं है। आपराधिक कार्यवाही निरस्त होने पर जब्तशुदा सामग्री प्रार्थी को वापस लौटाई जावे। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बहस उभयपक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। माननीया मुख्यमंत्री महोदया के जिले में भ्रमण के दौरान खाद्य विभाग द्वारा गठित जांच दल द्वारा अप्रार्थी की राशन दुकान की जांच में भौतिक सत्यापन करने पर 57.70.400 क्विं. गेहूँ पाया गया था जबकि कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर वक्त जांच अपीलार्थी की दुकान पर 44.47 क्विं. गेहूँ होना चाहिये था जो कि 13.23.400 क्विं. गेहूँ अधिक पाया गया है। उक्त गेहूँ अप्रार्थी की दुकान पर अधिक पाये जाने के संबंध में अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और ना ही इसका अप्रार्थी द्वारा खण्डन किया गया है। इसलिये यह निर्विवाद है कि वक्त जांच अप्रार्थी की राशन दुकान पर कार्यालय अभिलेख एवं ऑडिट रिपोर्ट अनुसार अवशेष स्टॉक की मात्रा से 13.23.400 क्विं. गेहूँ अधिक पाया गया है जिसका हिसाब अप्रार्थी इस न्यायालय में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है। अतः उक्त जब्तशुदा 13.23.400 क्विं. गेहूँ को राजसात किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है एवं जब्तशुदा 13.23.400 क्विं. गेहूँ को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी करौली को आदेश दिये जाते हैं कि जब्तशुदा 13.23.400 क्विं. गेहूँ को जिस राशन डीलर की सुपुर्दगी में दिया गया है, उसके गेहूँ के आवंटन रोस्टर में से एकबारीय 13.23.400 क्विं. गेहूँ कम करके जब्तशुदा 13.23.400 क्विं. गेहूँ को पोस मशीन द्वारा पात्र उपभोक्ताओं में बंटवाया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी करौली को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)

जिला कलक्टर

करौली

